Emergency In India

(भारत में आपातकाल)

- When an extraordinary situation arises, and that situation cannot be handled with the existing administrative mechanisms, the constitution provides for the imposition of an emergency so that the situation can be handled effectively. / जब कोई असाधारण स्थिति पैदा होती है, और उस स्थिति को मौजूदा प्रशासनिक तरीकों से संभाला नहीं जा सकता, तो संविधान आपातकाल लगाने का प्रावधान करता है ताकि स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके।
- Constitutional provisions: The emergency provisions are dealt with in Articles 352 to 360 of Part XVIII of the Indian constitution./ संवैधानिक प्रावधान: आपातकाल प्रावधानों के बारे में भारतीय संविधान के भाग XVIII के अनुच्छेद 352 से 360 में बताया गया है।
- Indian constitution provides for the below three kinds of emergencies;/ भारतीय संविधान नीचे दी गई तीन तरह की आपातकाल का प्रावधान करता है;
  1. National Emergency / राष्ट्रीय आपातकाल (Articles 352-354, 358-359)
  2. President's rule / राष्ट्रपति शासन (Articles 355-357)
  3. Financial Emergency / वित्तीय आपातकाल(Article 360).
- Sources of Emergency / आपातकाल के स्रोत :
  1. Government of India Act 1935/ भारत सरकार अधिनियम 1935
  2. Constitution of Weimar Republic of Germany/ जर्मनी के वाइमर गणराज्य का संविधान

National Emergency(राष्ट्रीय आपातकाल)

- National emergency can be declared on the basis of war, external aggression or armed rebellion. The Constitution employs the expression 'proclamation of emergency' to denote an emergency of this type./ युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। संविधान इस तरह के आपातकाल को बताने के लिए 'आपातकाल की घोषणा' शब्द का इस्तेमाल करता है।

Grounds of declaration: (घोषणा के आधार)

- Under Article 352, the President can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion./ अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो।

- The President can declare a national emergency even before the actual occurrence of war or armed rebellion or external aggression/ राष्ट्रपति युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के असल में होने से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
- When a national emergency is declared on the grounds of ‘war’ or ‘external aggression’, it is known as ‘External Emergency’./ जब 'युद्ध' या 'बाहरी आक्रमण' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो इसे 'बाहरी आपातकाल' के रूप में जाना जाता है।
- when it is declared on the grounds of ‘armed rebellion’, it is known as ‘Internal Emergency’./ जब इसे 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर घोषित किया जाता है, तो इसे 'आंतरिक आपातकाल' के रूप में जाना जाता है।

The term ‘armed rebellion’ is inserted from the 44th Amendment Before this term it was known as ‘internal disturbance’

'सशस्त्र विद्रोह' शब्द 44वें संशोधन से जोड़ा गया है। इस शब्द से पहले इसे 'आंतरिक गड़बड़ी' के नाम से जाना जाता था।

Parliamentary approval: Within one month after the date of its issuance, it must be ratified by both houses of Parliament./ संसदीय मंज़ूरी: इसे जारी होने की तारीख के एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंज़ूरी मिलनी चाहिए।

- If the Lok Sabha is not in session or has been dissolved, the proclamation must be approved within 30 days from the first sitting of the newly constituted Lok Sabha./ अगर लोकसभा सत्र में नहीं है या भंग हो गई है, तो नए बनी लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों के अंदर इस घोषणा को मंज़ूरी मिल जानी चाहिए।

- Duration of emergency: Normally, the emergency will be in effect for six months after approval./ आपातकाल की अवधि: आम तौर पर, आपातकाल मंज़ूरी के बाद छह महीने तक लागू रहेगी।

- However, such a proclamation may be extended indefinitely, with each extension receiving Parliamentary approval by a special majority every six months./ हालांकि, ऐसी घोषणा को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें हर छह महीने में विशेष बहुमत से संसदीय मंज़ूरी लेनी होगी।

Revocation: The President may revoke the state of emergency at any time by issuing a new proclamation to that effect. / रद्द करना: राष्ट्रपति किसी भी समय इस संबंध में एक नई घोषणा जारी करके आपातकाल की स्थिति को रद्द कर सकते हैं।

- Also, if the Lok Sabha adopts a resolution by a simple majority rejecting the continuation of the emergency, the emergency stands revoked./ इसके अलावा, अगर लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल जारी रखने को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पास कर देती है, तो आपातकाल रद्द हो जाएगी।

Effects of National Emergency

(राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव)

Effect on the Centre - State relations
केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव

Effect on the life of the Lok Sabha and State Assembly
लोकसभा और राज्य विधानसभा के जीवन पर प्रभाव

Effect on the Fundamental Rights
मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

Effect on the Centre – State relations: केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव:

While a proclamation of Emergency is in force, the normal fabric of center-state relations undergoes a basic change. this can be studied under three heads:
जब आपातकाल लागू होती है, तो केंद्र-राज्य संबंधों का सामान्य ढांचा पूरी तरह से बदल जाता है। इसे तीन हिस्सों में समझा जा सकता है:

a) Executive : During a national emergency, the center's executive authority extends to advising any state on how to exercise its executive authority. / राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को यह सलाह देने तक विस्तारित हो जाती है कि उसे अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए।
b) Legislative : The parliament has the authority to enact laws on any item included in the state list during a national emergency. / राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के पास राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है।
c) Financial : The president has the authority to scale back or stop the distribution of funds from the central government to the states while a declaration of a national emergency is being considered./ जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर विचार किया जा रहा हो, तो राष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार से राज्यों को कोष के बंटवारे को कम करने या रोकने का अधिकार होता है।

Effect on the life of the Lok Sabha and State Assembly
लोकसभा और राज्य विधानसभा के जीवन पर प्रभाव

When the national emergency is proclaimed, it will also alter the working of the legislative bodies both at the central and state level. /जब देश में आपातकाल घोषित की जाती है, तो इससे केंद्र और राज्य दोनों लेवल पर वैधानिक समिति के काम करने के तरीके में भी बदलाव आएगा।

a) Prolonging Lok Sabha: During a National emergency, Lok Sabha's term may be prolonged beyond its regular term for up to one year at a time, which can be valid for up to six months after the emergency had ended./ लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लोकसभा का कार्यकाल उसके नियमित कार्यकाल से एक बार में एक साल तक बढ़ाया जा सकता है, जो इमरजेंसी खत्म होने के छह महीने बाद तक वैलिड रह सकता है।

b) Prolonging state Assembly: Similar to this, during a national emergency, the Parliament may repeatedly extend the normal term of a state Legislative Assembly by one year, up to a maximum of six months after the situation has ended./ राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना: इसी तरह, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद किसी राज्य की विधानसभा का सामान्य कार्यकाल बार-बार एक साल के लिए बढ़ा सकती है, जो स्थिति खत्म होने के बाद अधिकतम छह महीने तक वैध रहेगा।

Effect on the Fundamental Rights
मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

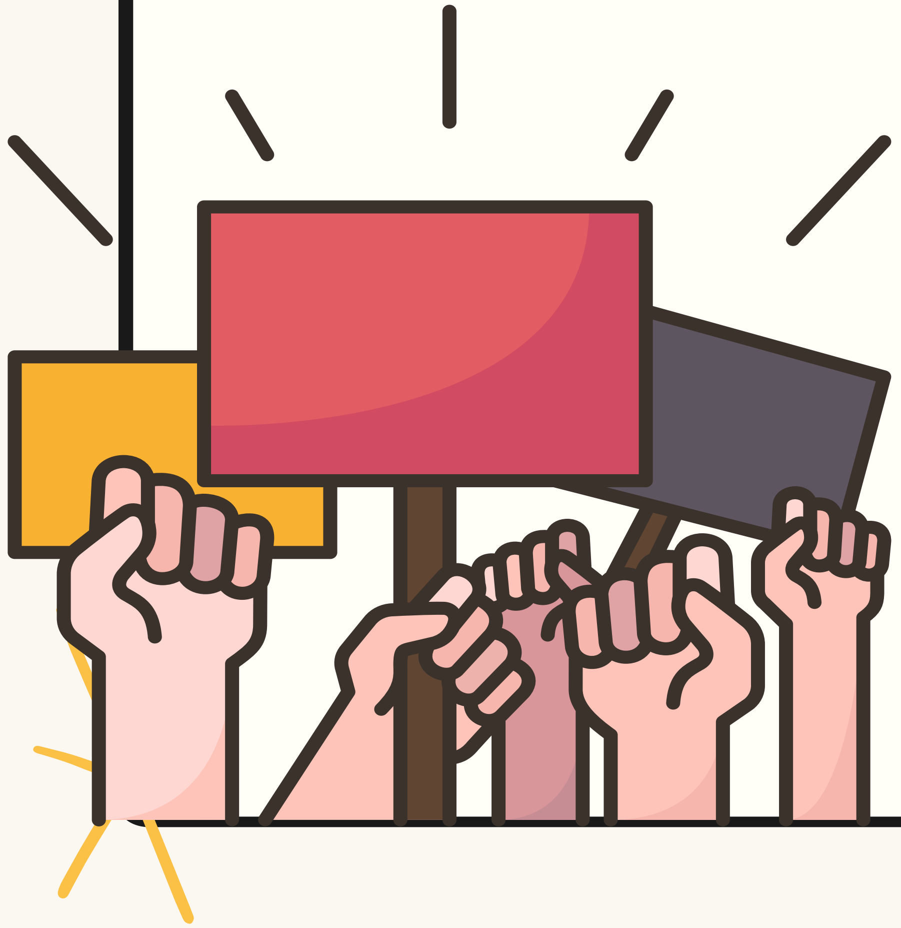

The impact of a National emergency on Fundamental rights is described in articles 358 and 359 of the constitution. / राष्ट्रीय आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर क्या असर होता है, यह संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में बताया गया है।

1. Suspension of fundamental rights under Article 19: The six fundamental rights under Article 19 are immediately suspended when a proclamation of national emergency is made, under Article 358. Their suspension does not require a separate court order. / अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन : अनुच्छेद 358 के तहत, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार तुरंत सस्पेंड हो जाते हैं। उन्हें निलंबित करने के लिए अलग से अदालत के आदेश की ज़रूरत नहीं होती।
2. Suspension of Fundamental rights : Under Article 359, the President is authorized to suspend, by order, the right to move any court for the enforcement of Fundamental Rights during a National Emergency. Thus, remedial measures are suspended and not the Fundamental Rights./ मौलिक अधिकारों का निलंबन : अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए किसी भी कोर्ट में जाने के अधिकार को आदेश देकर निलंबित करने का अधिकार है। इस तरह, राहत के उपाय निलंबित होते हैं, न कि मौलिक अधिकार।

Articles 358 and 359 – Impact on the Fundamental Rights (FRs)

Article 358

- Automatically suspends Article 19 for the entire duration of Emergency./ आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित कर देता है।
- Impacts Article 19 only./ केवल अनुच्छेद 19 पर प्रभाव डालता है।
- Operated only in case of External Emergency./ केवल बाहरी आपातकाल (External Emergency) के दौरान लागू होता है।
- Extends to the entire country./ यह पूरे देश में लागू होता है।

Article 359

- Requires Presidential Order (PO) for suspension of Fundamental Rights, which can be for the entire duration or a shorter period./ मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति आदेश (Presidential Order) आवश्यक होता है, जो पूरी अवधि या कुछ समय के लिए हो सकता है।
- Impacts all Fundamental Rights mentioned in the Presidential Order except Articles 20 and 21./ राष्ट्रपति आदेश में उल्लिखित सभी मौलिक अधिकारों पर लागू होता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के।
- Operates in both types of Emergencies (External and Internal)./ यह दोनों प्रकार के आपातकाल (बाहरी एवं आंतरिक) में लागू होता है।
- Extends to part or the entire country./ यह देश के किसी भाग या पूरे देश पर लागू हो सकता है।

The 44 Amendment Act mandates that the President cannot suspend the right to move the court for the enforcement of Fundamental Rights guaranteed by Article 20 and 21.

44वें संशोधन अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते।

- **Declarations made so far: This type of emergency has been proclaimed three times so far- in 1962, 1971 and 1975. / अब तक की घोषणाएँ: इस प्रकार की आपातकाल अब तक तीन बार घोषित की गई है - 1962, 1971 और 1975 में।**
- **The first proclamation of National Emergency was issued in October 1962 on account of Chinese aggression in the NEFA and was in force till January 1968./ राष्ट्रीय आपातकाल की पहली घोषणा अक्टूबर 1962 में NEFA में चीनी आक्रमण के कारण जारी की गई थी और यह जनवरी 1968 तक लागू रही।**

- The second proclamation of National Emergency was made in December 1971 in the wake of the attack by Pakistan. / पाकिस्तान के हमले के बाद दिसंबर 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी।

- Even when the emergency was in operation, the third proclamation of National Emergency was made in June 1975. Both the second and the third proclamations were revoked in March 1977/ जब आपातकाल लागू थी, तब भी जून 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। दूसरी और तीसरी दोनों घोषणाओं को मार्च 1977 में रद्द कर दिया गया।

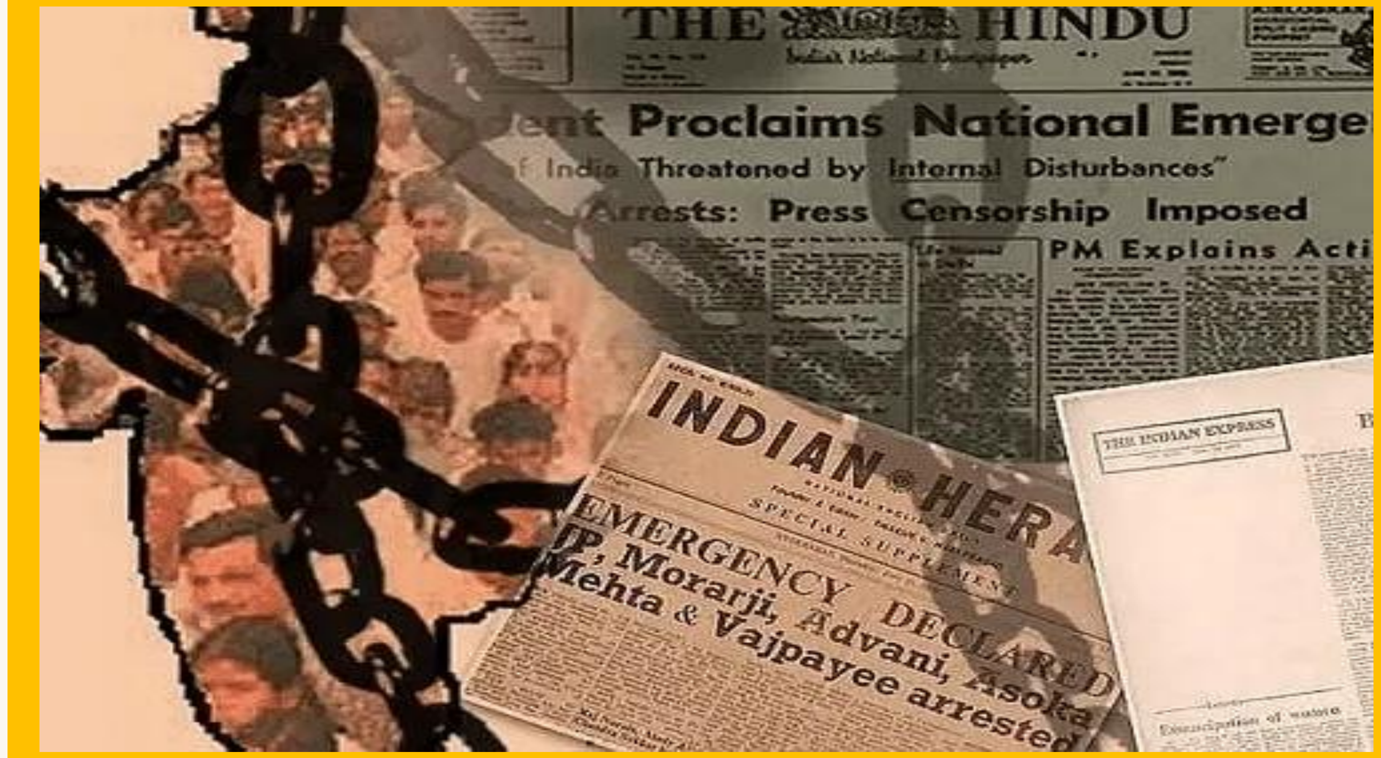

INDIAN HERALD

NATIONAL ENGLISH DAILY

Founder & Editor: THAKUR V. HARI PRASAD

SPECIAL SUPPLEMENT

HYDERABAD, Thursday

EMERGENCY DECLARED

JP, Morarji, Advani, Asoka Mehta & Vajpayee arrested

Raj Narain, Mody & Chandra Sekhar held

राष्ट्रपति शासन (संवैधानिक आपातकाल):
President's Rule (constitutional Emergency):

- The Centre has a responsibility to make sure that each state government operates in accordance with the provisions of the constitution. If the constitutional machinery fails in the state, the Centre can assume control of the state. This is famously known as President's rule./ केंद्र की यह ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करे। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाती है, तो केंद्र राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। इसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है।
- Grounds of imposition: the president's ruler can be proclaimed under Article 356 on two grounds: / लागू करने के आधार: राष्ट्रपति शासन को आर्टिकल 356 के तहत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है:

    1. Article 356 empowers the President to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution./ अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, अगर वह संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर सकती।

2. Article 365 says that whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction from the centre, it will be lawful for the President to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. / अनुच्छेद 365 कहता है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना कानूनी होगा कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर सकती।

- State legislative assembly may be suspended or dissolved.

  राज्य विधान सभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है।

- Parliamentary approval and duration: A proclamation imposing president’s rule must be approved by both the houses of parliament within two months from the date of its issue. / संसदीय मंज़ूरी और अवधि: राष्ट्रपति शासन लगाने वाले उद्घोषणा को जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंज़ूरी मिलनी चाहिए।

- However, if the proclamation of President’s rule is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of two months without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided that the Rajya Sabha approves it in the meantime

- हालांकि, अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा भंग हो गई हो या दो महीने के अंदर घोषणा को मंज़ूरी दिए बिना लोकसभा भंग हो जाती है, तो वह घोषणा लोकसभा के दोबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते कि राज्यसभा इस बीच उसे मंज़ूरी दे दे।

राष्ट्रपति शासन के परिणाम :

Consequences of President's Rule :

- The President acquires the following extraordinary powers when the President's rule is imposed in a state: / जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को ये खास शक्तियां मिल जाती हैं:
  - ✓He can take up the functions of the state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state. / वह राज्य सरकार के काम और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी को दी गई शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है।
  - ✓He can declare that the powers of the state legislature are to be exercised by the parliament./ वह यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करेगी।
  - ✓He can take all other necessary steps including the suspension of the constitutional provisions relating to any body or authority in the state / वह राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करने सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठा सकता है।

- Scope of judicial review: The 38th Amendment act of 1975 made the satisfaction of the President in invoking Article 356 final and conclusive which would not be challenged in any court on any ground. But, this provision was subsequently deleted by the 44th Amendment Act of 1978 implying that the satisfaction of the President is not beyond judicial review.
- न्यायिक समीक्षा का दायरा: 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 356 लागू करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बना दिया था, जिसे किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन, इस प्रावधान को बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया, जिसका मतलब है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है।

S.R. Bommai v. Union of India (1994) :

- ❖Proclamation can be challenged on the ground of/ घोषणा को इन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है:
- ❖Mala fide or Declaration was based on wholly extraneous and irrelevant facts or is absurd or perverse./ गलत इरादा या घोषणा पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थी या बेतुकी या गलत थी।

विभिन्न समितियों/आयोगों की टिप्पणियाँ:

Observations of various committees/commissions:

Sarkaria Commission (1987)

- Article 356 should be used very sparingly as a matter of last resort./ अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बहुत कम और आखिरी उपाय के तौर पर किया जाना चाहिए।
- Any imposition should be accompanied with a report by Governor to President./ कोई भी लागू करने से पहले गवर्नर को राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देनी होगी।
- No dissolution of Assembly till proclamation is ratified by Parliament./ जब तक संसद द्वारा घोषणा को मंज़ूरी नहीं मिल जाती, तब तक विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा।

National Commission for Reviewing The Working of Constitution (2002):

- A warning should be issued to the errant State, in specific terms./ गलती करने वाले राज्य को साफ़ शब्दों में चेतावनी दी जानी चाहिए।
- Before taking action under article 356, any explanation received from the State should be taken into account./ अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करने से पहले, राज्य से मिली किसी भी सफ़ाई पर विचार किया जाना चाहिए।
- No dissolution of Assembly till proclamation is ratified by Parliament./ जब तक संसद द्वारा उद्घोषणा की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक विधानसभा भंग नहीं की जाएगी।
- The Governor’s report should be given wide publicity in all the media and in full./ राज्यपाल की रिपोर्ट को सभी मीडिया में और पूरी तरह से व्यापक प्रचार दिया जाना चाहिए।
- Safeguards corresponding to Article 352 should be incorporated in Article 356./ अनुच्छेद 352 के अनुरूप सुरक्षा उपायों को अनुच्छेद 356 में शामिल किया जाना चाहिए।

Punchhi Commission (2008)

- Recommended imposition of localized emergency./ स्थानीय आपातकाल लगाने की सिफ़ारिश की गई है।
- Duration should not exceed three months./ इसकी अवधि तीन महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
- Amendments be made in Article 356 to incorporate the guidelines in S.R. Bommai case (1994)./ अनुच्छेद 356 में S.R. बोम्मई केस (1994) में दिए गए दिशानिर्देशों को शामिल करने के लिए संशोधन किए जाएं।

Law Commission (2015)

Situation could have been better handled by the use of Article 355, than imposition of Article 356.

अनुच्छेद 356 लगाने के बजाय अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करके हालात को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था।

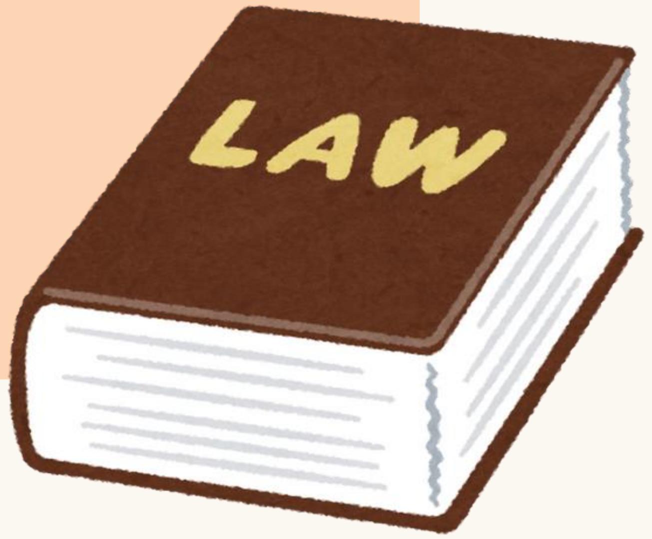

आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना
Criticism of the Emergency Provisions

- Grounds of declaration: Article 360 empowers the president to proclaim a Financial Emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. / घोषणा के आधार: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है, अगर उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या श्रेय खतरे में है।
- Parliamentary approval and duration: A proclamation declaring financial emergency must be approved by both the Houses of Parliament within two months from the date of its issue./ संसदीय मंज़ूरी और अवधि: वित्तीय आपातकाल घोषित करने वाले एक घोषणा को जारी होने की तारीख से दो महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंज़ूरी मिलनी चाहिए।
    - Once approved by both the houses of Parliament, the Financial Emergency continues indefinitely till it is revoked/ एक बार संसद के दोनों सदनों से मंज़ूरी मिलने के बाद, वित्तीय आपातकाल तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहती है जब तक इसे रद्द नहीं कर दिया जाता।

वित्तीय आपातकाल के प्रभाव
Effects of Financial Emergency

- Extension of the executive authority of the Union over the financial matters of the States./ राज्यों के वित्तीय मामलों पर संघ के कार्यकारी अधिकार का विस्तार
- Reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in the State./ राज्य में काम करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के लोगों की सैलरी और भत्तों में कमी।
- Reservation of all money bills or other financial bills for the consideration of the President after they are passed by the legislature of the State.राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना।
- Direction from the President for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving the Union; and the judges of the Supreme Court and the High Courts./ केंद्र सरकार में काम करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के लोगों; और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी और भत्तों में कमी के लिए राष्ट्रपति का निर्देश।
- No financial emergency has been imposed till date.
  आज तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।

आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना
Criticism of the Emergency Provisions

1. The federal character of the constitution will be destroyed and the Union will become all powerful. / “संविधान का संघीय चरित्र नष्ट हो जाएगा और संघ सर्वशक्तिमान हो जाएगा”
2. The powers of the state will entirely be concentrated in the hands of the Union executive. / राज्य की शक्तियां पूरी तरह से संघ कार्यपालिका के हाथों में केंद्रित हो जाएंगी।
3. The President will become a dictator./ राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा।
4. The financial autonomy of the state will be nullified. / राज्य की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाएगी।
5. Fundamental rights will become meaningless, as a result, the democratic foundations of the Constitution will be destroyed./ मौलिक अधिकार बेकार हो जाएंगे, नतीजतन, संविधान की लोकतांत्रिक नींव खत्म हो जाएगी।

आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित लेख

Article Related to Emergency Provisions

Article No.	Subject – Matter / विषय – वस्तु
Article 352	• Proclamation of Emergency / आपातकाल की उद्घोषणा
Article 353	• Effect of Proclamation of Emergency / आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव
Article 354	• Application of provisions relating to distribution of revenues while a Proclamation of Emergency is in operation / आपातकाल लागू रहने के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग
Article 355	• Duty of the Union to protect states against external aggression and internal disturbances / संघ का कर्तव्य – राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करना
Article 356	• Provisions in case of failure of constitutional machinery in states / राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान
Article 357	• Exercise of legislative powers under proclamation issued under Article 356 / अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग
Article 358	• Suspension of provisions of Article 19 during emergencies / आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन
Article 359	• Suspension of enforcement of the rights conferred by Part III during emergencies / आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
Article 360	• Provisions as to financial emergency / वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान

Question

Q1. Which of the following Articles of the Indian Constitution cannot be suspended even during an emergency declared on the grounds of war or external aggression?

निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते?

(a) Article 20 and 21 / अनुच्छेद 20 और 21

(b) Article 14 and 16 / अनुच्छेद 14 और 16

(c) Article 15 and 17 / अनुच्छेद 15 और 17

(d) Article 30 and 32 / अनुच्छेद 30 और 32

(SSC CGL – 19/09/2024)

Question

Q2. In case the President is satisfied with the Governor's report, he may declare President's rule under Article 356 but such proclamation is initially for a period of ___

यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं, तो वे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, परंतु ऐसी उद्घोषणा प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए होती है?

(SSC CPO – 28/06/2024)

(a) Three months / तीन महीने

(b) Six months / छह महीने

(c) Two months / दो महीने

(d) One month / एक महीना

Question

Q3. In 1959, the Central Government of India undertook the governance in Kerala under ___ of the Constitution of India.

1959 में भारत की केंद्रीय सरकार ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल में शासन अपने अधीन लिया?

(SSC CHSL – 12/04/2021)

(a) Article 356 / अनुच्छेद 356

(b) Article 352 / अनुच्छेद 352

(c) Article 360 / अनुच्छेद 360

(d) Article 349 / अनुच्छेद 349

Question

Q4. On the night of ____ 1975, Indira Gandhi recommended the imposition of emergency to President Fakhruddin Ali Ahmed.

____ 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने की सिफारिश की।

(SSC CPO – 23/11/2020)

(a) 1st June / 1 जून

(b) 22nd May / 22 मई

(c) 25th June / 25 जून

(d) 1st July / 1 जुलाई

Question

Q5. Which of the following Articles of the Indian Constitution has not so far been used?

निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अब तक प्रयोग में नहीं लाया गया है?

(UPPCS Mains – 2016)

(a) Article 60 / अनुच्छेद 60

(b) Article 352 / अनुच्छेद 352

(c) Article 356 / अनुच्छेद 356

(d) Article 360 / अनुच्छेद 360

Question

Q6. Who said, "The emergency power of the President is a fraud with the Constitution"?

किसने कहा, "राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ संविधान के साथ एक छल हैं"?

(UPPCS)

(a) K. M. Munshi / के. एम. मुंशी

(b) B. N. Rao / बी. एन. राव

(c) K. M. Nambiar / के. एम. नांबियार

(d) H. N. Kunzru / एच. एन. कुंज़्रू

Question

Q7. Which of the following is/are the consequence(s) of invoking Article 360, declaration of a financial emergency?
अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल) लागू करने के क्या परिणाम होते हैं?

1. The President may order the States to reduce the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the State affairs./ राष्ट्रपति राज्यों को आदेश दे सकते हैं कि वे राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करें।
2. Money Bills or other financial bills passed by the State Legislature are not required to be reserved for the consideration of the President./ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती।
3. The President can issue direction for the reduction of salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the affairs of the Union, including the Judges of the Supreme court and the High court./ राष्ट्रपति संघ के कर्मचारियों और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं।
4. Money bills or other financial bills are to be reserved for the consideration of the president after they are passed by the Legislature of the state./ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किए जाने चाहिए।

Select the correct answer using the codes given below / नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(a) Only 1, 3 and 4 / केवल 1, 3 और 4
(b) Only 2 / केवल 2
(c) Only 1 and 2 / केवल 1 और 2
(d) All of the above / उपरोक्त सभी

(69th BPSC Pre – 2023)

Question

Q8. Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the President's rule in a state?

निम्नलिखित में से कौन-से राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आवश्यक परिणाम नहीं हैं?

1. Dissolution of the State Legislative Assembly / राज्य विधानसभा का विघटन
2. Removal of the council of ministers in the state / राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना
3. Dissolution of the local bodies./ स्थानीय निकायों का विघटन

Select the correct answer using the code given below / नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(a) 1 and 2 only / केवल 1 और 2

(b) 1 and 3 only / केवल 1 और 3

(c) 2 and 3 only / केवल 2 और 3

(d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

(IAS Pre – 2017)

Question

Q9. Which one of the following Articles of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संघ का कर्तव्य है प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करना?

(IAS Pre)

(a) Article 215 / अनुच्छेद 215

(b) Article 275 / अनुच्छेद 275

(c) Article 325 / अनुच्छेद 325

(d) Article 355 / अनुच्छेद 355

Question

Q10. Which one of the following is the time limit for the ratification of an Emergency period by the Parliament?

संसद द्वारा आपातकाल की स्वीकृति की समय-सीमा निम्नलिखित में से कितनी है?

(a) 14 days / 14 दिन

(b) 1 month / 1 महीना

(c) 3 months / 3 महीने

(d) 6 months / 6 महीने

THANK YOU!